

Office of the First Appellate Authority  
(Appointed under the Right to Information Act, 2005)  
New & Renewable Energy Department & HAREDA, Haryana, Panchkula  
Sector-17, Panchkula

No. NRE & HAREDA/RTI-FAA/13621-23

Dated: 26-2-24

In the matter of:

Sh. Lakhan Singh Kushwaha, R/o # D-194,  
Dabua Colony, NIT Faridabad- 121001,  
Mob: 8447175359

Appellant

Vs.

Project Officer-cum-  
Assistant State Public Information Officer,  
O/o Additional Deputy Commissioner-cum-Chief Project Officer,  
New & Renewable Energy Department,  
Faridabad

Respondent

Date of order: 20.02.2024

ORDER

1. The Appellant filed his first appeal on 11.12.2023 under Section 19 (1) of the Right to Information Act, 2005 and received by the office of First Appellate Authority (FAA) on 28.12.2023 in connection with his application dated 29.05.2023 to provide information from Project Officer-cum-Assistant State Public Information Officer, Office of Additional Deputy Commissioner-cum - Chief Project Officer, Faridabad.
2. The Appellant has informed that no information has been provided.
3. First Appellate Authority (FAA) directed the ASPIO, Faridabad to provide the point wise desired information to the Appellant under intimation to this office by 12.01.2024 and personally appear on 23.01.2024 at 12:00 Noon with the information provided, if information is not provided or not satisfied with the information provided.
4. The ASPIO, Faridabad has submitted its reply to this office vide letter No. 914 dated 10.01.2024 under intimation to appellant and informed that point wise reply have already been provided and the same is again attached (Copy attached).
5. The Appellant did not appear on the said schedule and his letter dated 18.01.2024 received by this office on 31.01.2024 requesting that information

has not been provided within stipulated time period and order may be passed on merit.

6. Further one more opportunity have been provided to Appellant to appear before this office on 20.02.2024 at 12:00 Noon. But Appellant did not appear and sent an email requesting that order may be passed on merit. ASPIO, Faridabad has again submitted the same reply to this office under intimation to the appellant and requesting that said RTI may be filed.
7. This office has carefully considered the application, the response, the appeal, and the records made available and finds that the matter can be decided based on the material available on record.
8. This office concurs with the submissions of the Respondent.

**Order:-**

In view of the above, the appeal stands disposed off and ordered accordingly. Copy of this order be sent to the appellant and ASPIO.

If the appellant is not satisfied with this order/ information provided, he/she may file an appeal before State Information Commission Haryana, SCO-70-71 (1<sup>st</sup> Floor), Sector-8, Chandigarh.



(Sombir Singh)

Chief Scientific Engineer, HAREDA  
First Appellate Authority,  
New & Renewable Energy &  
HAREDA, Haryana, Panchkula

**CC:-**

1. Sh. Lakhan Singh Kushwaha, R/o # D-194, Dabua Colony, NIT Faridabad-121001, Mob: 8447175359
2. Project Officer-cum-Assistant State Public Information Officer, Office of Additional Deputy Commissioner-cum-Chief Project Officer, Faridabad
3. Programmer, DNRE/HAREDA to upload on HAREDA website.



कार्यालय सहायक जन सूचना अधिकारी-कम-परियोजना अधिकारी, फरीदाबाद

श्री लाखन सिंह कुशवाहा, मकान न0 194, डबुआ कॉलोनी, फरीदाबाद (हरियाणा) .....  
अपीलार्थी



बनाम

सहायक जन सूचना अधिकारी-कम-मुख्य परियोजना अधिकारी, फरीदाबाद .....

प्रत्यार्थी

अपील अंतर्गत सूचना का अधिकार कानून 2005 के नियम 19(1)

क्रमांक

914

दिनांक


10-01-2024

आपके न्यायलय के नोटिस पत्र क्रमांक DNRE/RTI-FAA-2024-11220 दिनांक 03-01-2024 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषय पर आपको अनुरोध सहित अवगत कराया जाता है कि आवेदक श्री लाखन सिंह कुशवाहा, मकान न0 194, डबुआ कॉलोनी, फरीदाबाद (हरियाणा) का आर0टी0आई0 आवेदन दिनांक 29.05.2023 जो इस कार्यालय में दिनांक 09.06.2023 को प्राप्त हुआ था। प्रार्थी के आवेदन का जवाब इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 831 दिनांक 28.06.2023 के द्वारा प्रार्थी को प्रेषित कर दिया गया था।

अतः माननीय न्यायलय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना का अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रदान कर दी गई थी। अतः प्रथम अपीलेट अथॉरिटी एवं मुख्य वैज्ञानिक अभियंता, पंचकूला से प्रार्थना है कि इस नोटिस को अधोहस्ताक्षरी की तरफ से दफ्तर-दाखिल करने का कष्ट करे।

संलग्न - उक्त

  
सहायक जन सूचना अधिकारी  
-कम-परियोजना अधिकारी  
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग  
फरीदाबाद


क्रमांक

915

दिनांक

10-01-2024

इसकी एक प्रति प्रार्थी श्री लाखन सिंह कुशवाहा, मकान न0 194, डबुआ कॉलोनी, फरीदाबाद (हरियाणा) को सूचनार्थ प्रेषित है।

  
सहायक जन सूचना अधिकारी  
-कम-परियोजना अधिकारी  
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग  
फरीदाबाद



**Office of Additional Deputy Commissioner-cum-  
Chief Project Officer,**

**New and Renewable Energy Department, Faridabad**

(4<sup>th</sup> Floor, Mini Secretariat)

Email: fbd.nre-hry@gov.in



प्रेषित

श्री लाखनसिंह कुशवाहा  
मकान न० 194, डबुआ कॉलोनी,  
NIT, फरीदाबाद (हरियाणा)

क्रमांक 831


/ दिनांक 28-06-23

विषय : - जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आवेदन  
स्थानांतरण करने बारे

प्रार्थी द्वारा मांगी गई बिंदुवार सूचना निम्न प्रकार से है -

1. जैसा कि आपको अवगत करवाया गया है कि सौर ऊर्जा पैनल घरों में लगवाने के लिए Grid Connected Rooftop Solar Power Plants Scheme DISCOMS (DHBVN & UHBVN) विभाग को स्थानांतरित कर दी गई है। HAREDA द्वारा 20.06.2019 को पोर्टल बंद कर दिया गया था।
2. यह बिंदु इस कार्यालय से सम्बंधित नहीं है।
3. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सौर ऊर्जा की किसी भी स्कीम के लिए कोई विशेष छूट का प्रावधान नहीं है।
4. यह बिंदु इस कार्यालय से सम्बंधित नहीं है।
5. यह बिंदु इस कार्यालय से सम्बंधित नहीं है।

यह आपकी सेवा में सूचनार्थ प्रस्तुत है।

  
जन सूचना अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी  
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग  
फरीदाबाद।

पृ० क्रमांक 832

दिनांक 28-06-23

उपरोक्त की एक प्रति अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य योजना तथा विकास अधिकारी  
फरीदाबाद को सूचनार्थ प्रेषित है

जन सूचना अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी  
B/C नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग  
फरीदाबाद ५५

Received  
Saini Singh  
28/6/23



अतिरिक्त उपायुक्त एवं  
मुख्य योजना तथा विकास अधिकारी,  
फरीदाबाद।



Po/APO (N&RE)

3/1  
AD C

जन सुचना अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी,  
नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग, फरीदाबाद।

यदि क्रमांक मु०यो०वि०अ०(फ)-2023/777 दिनांक: 02/06/2023

विषय: जन सुचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आवेदन  
स्थानान्तरण करने बारे।

प्रार्थी श्री लाखनसिंह कुशवाहा पुत्र, ठाकुर प्रसाद मकान न० 194, डबुआ कालोनी,  
NIT, फरीदाबाद का आवेदन इस कार्यालय में दिनांक 01/05/2023 को प्राप्त हुआ। इस आवेदन को  
जन सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत स्थानान्तरित करते हुए लिखा  
जाता है कि प्रार्थी दुवारा मांगी गई सुचना आपके विभाग से सम्बंधित है। अपेक्षित सुचना तैयार  
करके निश्चित समयावधि में आवेदक को प्रदान करते हुए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को सूचित करें।

अतिरिक्त

जन सुचना अधिकारी एवं योजना अधिकारी,  
कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त, फरीदाबाद

प्र० क्रमांक :

दिनांक :

उपरोक्त की एक प्रति श्री लाखनसिंह कुशवाहा पुत्र, ठाकुर प्रसाद मकान न० 194, डबुआ  
कालोनी, NIT, फरीदाबाद को सुचनार्थ प्रेषित है।

Sd-

जन सुचना अधिकारी एवं योजना अधिकारी,  
कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त, फरीदाबाद।

शिवामें

राज्य लोक सुचना अधिकारी/अतिरिक्त उपायुक्त  
नधु सरकारीलय 28012 फरीदाबाद PO (Faridkot)

विषय: RTI Act 2005 के तहत आवेदन पत्र

28/05/23

गैद्यदय, माथी लारवन सिंह कुशवाहा म.न. डी-194 डब्लूआ फाल्गुनी  
NAN फरीदाबाद निवासी हैं तथा वरिष्ठ नागरिक हैं।

Recd  
01/06/2023  
HPO

- 1) माथी नं दिनांक 27/3/2023 को एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त उपायुक्त फरीदाबाद के नाम पेशित किया जिसमें सौर उजा पैनल लगवाने में मदद करने तथा खर्चा बताने का कृपया कं अनुमोद किया था। इस पत्र पर किये गये कार्यवाही की प्रतिलिपि उपलब्ध किया जाए।
- 2) सौर उजा पैनल लगवाने के बाद वर्तमान DHBN की बिजली कनेक्शन रखना अनिवार्य होगा या नहीं यह बताया जाए।
- 3) सौर उजा पैनल वरिष्ठ नागरिक लगवाता है तो विशेष छुट कितनी है या नहीं है यह बताने का कृपया करें।
- 4) सौर उजा पैनल लगवाने के बिना DHBN कनेक्शन सिम्युलरिटी मनी वापिस होगी अथवा नहीं बताया जाए।
- 5) वर्तमान समय DHBN ग्रांज कनगा चालू लगाया है वह सभी वापिस होगी या नहीं यह विधि बताने का कृपया करें।


उक्त आग्रह उपरोक्त लिखे सुचना अधिनियम के तहत

किया जाए। इसके थ्रुल 101 नं० का/PNU 60 F 828324 इस पत्र के साथ संलग्न है।

Encl.

प्रार्थना पत्र दिनांक 27/3/2023  
आधार नं० 01784767042

दिनांक 29-5-2023



माथी लारवन सिंह कुशवाहा  
फरीदाबाद निवासी हैं  
NAN फरीदाबाद निवासी हैं  
M 8444443333




(Regd)

PO/APO (NRE)

N  
AOC

209-01-24

The Chief Scientific Engineer-cum-First Appellate Authority,  
New & Renewable Energy Department/HAREDA, Haryana  
Akshay Urja Bhawan, Institutional Plot No. 1,  
Sector-17, Panchkula



The Assistant State Public Information Officer-cum-  
Additional Deputy Commissioner-cum-Chief Project Officer,  
New & Renewable Energy Department,  
Faridabad

Memo No. DNRE/RTI-FAA/2024/11220

Dated: 3-1-24

**Subject:-** First Appeal under Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005-  
Regarding RTI application of Sh. Lakhan Singh Kushwaha.

Kindly refer to the RTI appeal of Sh. Lakhan Singh Kushwaha dated  
11.12.2023 (copy attached) and dispatched to this office on 28.12.2023.

The applicant had sought information under the RTI Act, 2005 dated 29.05.2023 from  
you being ASPIO, ADC-cum-CPO, DNRE, Faridabad. Now, he has filed an appeal before  
the First Appellate Authority under the RTI Act, 2005 and claimed that the desired  
information has not been provided.

You are therefore directed to provide the desired information (Point wise) to the  
applicant under intimation to undersigned by 16.01.2024 and you may personally  
appear before the undersigned on 23.01.2024 at 12:00 Noon along with the  
information provided by you and all relevant documents.

(Signature)

(Sombir Singh)

Chief Scientific Engineer--cum-First Appellate Authority,  
New & Renewable Energy Department/HAREDA,  
Haryana, Panchkula

**CC:-** A copy is forwarded to Sh. Lakhan Singh Kushwaha, R/o # D-194, Dabua  
Colony, NIT Faridabad- 121001, Mob: 8447175359 to appear before above signed on  
23.01.2024 at 12:00 Noon alongwith all relevant documents if information is not  
provided or you are not satisfied with the information provided.